संख्या-31/2022/441/छप्पन-2022-153/2000

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 26 मार्च, 2022

विषय: राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी200 वीटी-यू0पी0आर0 हेतु माडल PT6A-42, Serial No.PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवरहाल कराये जाने हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 575/CADUP/ENG(PUR)/UPR-06-I/2021, दिनांक 11 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी200 वीटी-यू0पी0आर0 हेतु माडल PT6A-42, Serial No.PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवरहाल कराये जाने हेतु इंजन निर्माता कंपनी Pratt &Whitney Canada से ईमेल द्वारा प्राप्त बजटरी कोटेशन के अनुसार कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-92/2021/1908/छप्पन-2021- 153/2000 दिनांक 01 नवम्बर, 2021 द्वारा रू0 2,96,02,810/- (रूपये दो करोड़ छियानबे लाख दो हज़ार आठ सौ दस मात्र) (316250.00 यू.एस. डालर रूपये 78.00 प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से एवं अन्य व्यय सम्मिलित करते हुए) की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निर्गत की गई है । इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 11 मार्च, 2022 में प्रस्ताव किया गया है कि राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी200 वीटी-यू0पी0आर0 हेतु इंजन माडल PT6A-42, Serial No.PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवरहाल कराये जाने हेतु ओवरहालकर्ता फर्म Pratt &Whitney Canada से इंजन तथा एसेसरीज के डिटेल्ड स्ट्रिप/टियर डाउन इंस्पेक्शन के उपरांत फाईनल कास्ट एस्टीमेट संख्या 96619311 दिनांक 25/02/2022 के अनुसार कुल यू.एस. डालर 503988.32 के भुगतान, जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78.00 प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से रूपये 3,93,11,089/-तथा इस धनराशि पर लेटर आफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपये 39,31,109/- को सम्मिलित करते हुए एवं देय ड्यूटी रु0 25,00,000/- का अग्रिम भुगतान निदेशालय से सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेंट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक, नयी दिल्ली को किये जाने अर्थात कुल रु0 4,57,42,198/- (रूपये चार करोड़ सत्तावन लाख बयालीस हज़ार एक सौ अठानबे मात्र) का पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण इंजन निर्माता कंपनी Pratt &Whitney Canada को उक्त भुगतान साख पत्र के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी है |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: श्री राज्यपाल राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी200 वीटी-यू0पी0आर0 हेतु इंजन मॉडल PT6A-42, Serial No.PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवरहाल कराये जाने हेतु रू0 4,57,42,198/- (रूपये चार करोड़ सत्तावन लाख बयालीस हज़ार एक सौ अठानबे मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति तथा उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-92/2021/1908/छप्पन-2021- 153/2000 दिनांक 01 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष दिनांक 01 नवम्बर, 2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 2,96,02,810/- (रूपये दो करोड़ छियानबे लाख दो हज़ार आठ सौ दस मात्र) को समायोजित करते अवशेष धनराशि को रू0 1,61,39,388/- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय/अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-92/2021/1908/छप्पन-2021-153/2000 दिनांक 01 नवम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या-ई-7-3542/दस-2021-22 दिनांक: 26 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

संख्या: 31/2022/441(1)/छप्पन-2022-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in